भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1948

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

एमएसएमई ऋण में एनपीए

1948. श्री बापी हलदर :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को स्वीकृत और वितरित ऋण के मध्य अंतर के संबंध में सरकार द्वारा किये गये आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) एमएसएमई ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बढ़ते मामलों और उच्च परीक्षण लागत तथा सीमित बुनियादी ढांचे के कारण गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुपालन में हुए विलंब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को संवितरित ऋण राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राशि (करोड़ रु. में)

वित्त वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		कुल एमएसएमई	
	खातों की संख्या (लाख में)	संवितरित राशि	खातों की संख्या (लाख में)	संवितरित राशि	खातों की संख्या (लाख में)	संवितरित राशि	खातों की संख्या (लाख में)	संवितरित राशि
2022-23	84.20	6,43,150.40	7.83	5,79,554.50	3.03	4,74,033.35	95.06	16,96,738.26
2023-24	118.25	8,95,633.99	10.02	7,16,599.44	4.29	5,92,221.56	132.56	22,04,454.98
2024-25	115.74	10,49,491.23	9.42	8,34,267.31	4.83	7,59,690.41	129.98	26,43,448.95

स्रोत : एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित रिटर्न।

एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और उसकी सहायता करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) दिनांक 29 मई, 2015 की राजपत्रित अधिसूचना में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास संबंधी रूपरेखा' (एमएसएमई के लिए एफआरआर) का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 17.03.2016 को अपने परिपत्र सं.आरबीआई/2015-16/338 एफआईडीडी के तहत निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा वाले एमएसएमई के लिए दिनांक 17 मार्च, 2016 के परिपत्र के तहत पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा (एफआरआर) जारी किए थे।

(ii) 5 लाख करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी के कवर प्रदान करने के प्रावधान के साथ एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की शुरुआत की गई थी। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक कार्यशील थी। आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.01.2023 की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते जिनमें से 98.3 प्रतिशत एमएसई श्रेणी से संबंधित थे, को एनपीए होने से बचाया गया।

(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम ताकि एमएसई को सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी (दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी) प्रदान की जा सके।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों अथवा महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट के साथ वार्षिक न्यूनतम मार्किंग शुल्क में वित्तीय छूट के रूप में बीआईएस द्वारा 80 प्रतिशत (सूक्ष्म उद्यमों/स्टार्ट-अप इकाइयों के लिए), 50 प्रतिशत (सूक्ष्म उद्यमों के लिए) तथा 20 प्रतिशत (मध्यम उद्यमों के लिए) की छूट का प्रावधान किया गया है।

ii. एमएसएमई के लिए इन-हाउस प्रयोगशाला के रखरखाव की आवश्यकता को वैकल्पिक बनाया गया है। एमएसएमई को यह अनुमति भी प्रदान की गई है कि वे बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं तथा एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के बाहर से भी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

iii. जांच और परीक्षण संबंधी स्कीम के साथ निर्धारित 'लेवल्स ऑफ कंट्रोल' स्वभाविक रूप से अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं।

iv. घरेलू विनिर्माताओं के लिए उत्पाद प्रमाणन संबंधी कार्यकलापों और प्रक्रियाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'मानक ऑनलाइन' के जरिए डिजटीकृत किया गया है। घरेलू विनिर्माताओं के लिए प्रमाण-पत्रों के नवीकरण को भी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटोमेटिव स्वरूप प्रदान किया गया है।

*****